बिहार विधान सभा वादवृत्त

सोमवार, तिथि ६ दिसम्बर, १९६५।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में सोमवार, तिथि ६ दिसम्बर, १९६५ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मीनारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

श्री नवल किशोर सिंह—महाशय, मैं तृतीय बिहार विधान-सभा के दशम् सत्र (जुलाई-अगस्त १९६५) के शेष ८७० तारांकित प्रश्नों में से ९१ प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा की मेज पर रखता हूँ।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

श्री शशिभूषण त्रिपाठी के विरुद्ध आवेदन-पत्र।

१। श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत जयनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री शशिभूषण त्रिपाठी के विरुद्ध में आवेदन-पत्र श्री लक्ष्मीनारायण ने तारीख १३ अक्तूबर १९६४ को मुख्य मंत्री, कमिश्नर, तिरहुत प्रमंडल और जिलाधिकारी, दरभंगा के पास भेजा था; यदि हां, तो सरकार ने इस पर कौन-सी कार्रवाई अबतक की है; यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है?

श्री नवल किशोर सिंह—उत्तर स्वीकारात्मक है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री शशिभूषण त्रिपाठी के विरुद्ध श्री लक्ष्मीनारायण के दिनांक १३ अक्तूबर, १९६४ को आवेदन-पत्र पर जिला दंडाधिकारी, दरभंगा से एक प्रतिवेदन आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल द्वारा मांगी गयी है। अभी प्रतिवेदन नहीं आया है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।

*श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—कब रिपोर्ट मांगी गयी थी?

श्री नवल किशोर सिंह—मार्च, १९६५ में।

श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—प्रश्न पूछने के बाद या पहले?

श्री नवल किशोर सिंह—प्रश्न पूछने के पहले, लेकिन उत्तर आने में विलम्ब जरूर हुआ है।

बकाया रकम का भुगतान तथा गबन करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई।

७४८। श्री कामदेव प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सूर्यनारायण उपाध्याय वर्त्तमान सहायक शिक्षक, राजकीय बुनियादी विद्यालय, सवईजोर, जिला संथाल परगना का माह जुलाई, १९६१ का वेतन १०४ रु० बकाया है;

(२) क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, संथालपरगना के आदेशानुसार श्री सूर्यनारायण उपाध्याय २२ जुलाई, १९६१ को गान्दो बुनियादी विद्यालय से कार्य मुक्त होकर कृषि प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण विद्यालय, नगरपारा गए थे और इस बीच उक्त शिक्षक का जुलाई, १९६१ का वेतन दिनांक ७ अगस्त १९६१ को दुमका खजाना से १०४ रु० भूतपूर्व प्रधानाध्यापक श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (राजकीय बुनियादी विद्यालय, गान्दों, संथालपरगना जो कि वर्त्तमान प्रधानाध्यापक, बुनियादी विद्यालय, रुइया, शाहाबाद को हैं) निकाल कर गबन कर दिये हैं;

(३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार श्री सूर्यनारायण उपाध्याय के बकाया रकम का भुगतान करना चाहती है तथा गबन करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करना चाहती है?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) यह बात सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, संथालपरगना के आदेशानुसार श्री सूर्यनारायण उपाध्याय २२ जुलाई, १९६१ को गान्दो बुनियादी विद्यालय से कार्यमुक्त होकर कृषि प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण विद्यालय, नगरपारा गए थे और इस बीच उक्त शिक्षक का जुलाई १९६१ का वेतन दिनांक ७ अगस्त, १९६१ को दुमका खजाना से १०४ रु० भूतपूर्व प्रधानाध्यापक श्री राजेन्द्र सिंह ने निकाला था। परन्तु वह राशि श्री सूर्यनारायण उपाध्याय को भुगतान नहीं किया गया ऐसा विद्यालय के अभियुक्ति (ऐक्मीटस) रजिस्टर से ज्ञात होता है।

(३) इस विषय की जांच शीघ्र ही की जायगी एवं बकाए का भुगतान किया जायगा। दोषी पदाधिकारी पर भी उचित कार्रवाई की जायगी।

छात्रवृत्ति पुनः दिलाने की व्यवस्था।

७६०। श्री सूरजनारायण सिंह—क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत खजौली अंचल के परिषद् उच्च प्राथमिक विद्यालय, मधेपुर की तृतीय वर्ग की छात्रा दरहनियां देवी (फल्लर मोची की पुत्री) को हरिजन छात्रवृत्ति से इस वर्ष वंचित कर दिया गया है;

(२) क्या यह बात सही है कि गत वर्ष उस छात्रा को द्वितीय वर्ग में उसी विद्यालय में छात्रवृत्ति मिलती थी;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार उपर्युक्त छात्रा की अकारण बंद कर दी गयी छात्रवृत्ति पुनः दिलाने के लिये क्या करना चाहती है ?

श्री डुमर लाल बैठा—(१) उत्तर नकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) वर्त्तमान सत्र में संबंधित छात्रा को छात्रवृत्ति पुनः प्रतिपादित की जा चुकी है तथा इस माह के अन्दर छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

नलकूप की व्यवस्था।

७६४। श्री एकनारायण चौधरी—क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) दरभंगा जिले में हरिजनों के लिये नलकूप की व्यवस्था के लिये पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कितनी-कितनी रकम दी गई है;

(२) हरिजनों की जन-संख्या को देखते हुए इस जिले का अंश बढ़ाने के लिये सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री डुमर लाल बैठा—(१) कल्याण विभाग द्वारा दरभंगा जिले में हरिजनों के लिये नलकूप की व्यवस्था के लिये १९६३-६४, १९६४-६५ तथा १९६५-६६ के वित्तीय वर्ष में यथाक्रम ६,००,२०,००० तथा ८,८०० रुपये का आवंटन स्वीकृत किया गया है।

(२) इस मद में प्रवंधित राशि को बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

वकाये वेतन एवं जमानत के रुपये की चुकती।

९०१। श्री फुलदीप महतो—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री विन्देश्वरी प्रसाद, तात्कालिक कर्मचारी, हल्का नं० १—अतरी-अंचल, जिला गया रोगग्रस्त होने पर ३ मई, १९६० से छुट्टी पर चले गए एवं रोग ग्रस्तता की विवशता के कारण उन्होंने ३० मार्च, १९६० को त्याग-पत्र द दिया तथा अंचलाधिकारी, अतरी-अंचल के पत्रांक ९०९, दिनांक १८ जुलाई, १९६० के उत्तर में उन्होंने सहायक असैनिक चिकित्सक, गया द्वारा दी गयी बीमारी का प्रमाण ५ अक्तूबर, १९६० को दिया;